कार्यालय,जिला एवं सत्र न्यायाधीश,रीवा(म.प्र.)

-:विज्ञप्ति:-

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, जिला एवं सत्र न्यायालय,रीवा हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में गुणवत्तापूर्ण लेखन सामग्री प्रदाय करने के सम्बन्ध में सभी प्रतिष्ठित स्थानीय लेखन सामग्री संस्थानों से सील बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 01.10.16 को शाम 03:00 बजे तक है. अंतिम समय तक प्राप्त समस्त निविदाएं निविदाकर्ताओं एवं क्रय समिति, जिला न्यायालय,रीवा की उपस्थिति में दिनांक 01.10.16 को शाम 04:00 बजे खोली जावेगी. विस्तृत निविदा दस्तावेज मय निविदा शर्तों के माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.in पर उपलब्ध है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा

-:निविदा शर्ते :-

1. निविदा दस्तावेज एक सील बंद लिफाफे में जिस पर विषय अंकित हो ,के साथ जमा किया जावेगा.कोई भी निविदा विज्ञप्ति में दर्शित अंतिम दिनांक के बाद स्वीकार नहीं करते हुए बिना खोले खारिज कर दी जावेगी.निविदा प्रारूप तथा सलग्न समस्त प्रपत्रो पर निविदाकार के हस्ताक्षर अनिवार्य है.

2. निविदा आवेदन पत्र मय शर्तो एवं सामग्री सूची तथा रु. 5000/- की प्रतिभूति राशि DD/FDR ,जो की जिला एवं सत्र न्यायाधीश,रीवा के नाम देय हो, के सहित जमा की जावेगी. जिसे सामग्री प्रदाय करने के उपरांत वापिस किया जावेगा. निविदा खोले जाने पर निविदा शर्तो की पूर्ती ना होने पर उक्त निविदा ख़ारिज कर दी जावेगी.

3. सफल निविदाकर्ता को जिला न्यायालय,रीवा द्वारा क्रय आदेश जारी करने के अधिकतम 07 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय किया जाना होगा.

4. समस्त निविदाओ में दर्शित दरों पर VAT Tax अलग से दर्शाया जावे तथा वाणिज्य कर विभाग से पंजीयन होने का प्रमाण पत्र छायाप्रति एवं आयकर अदा करने करने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे एवं सामग्री जिला न्यायालय परिसर में प्रदाय की जाना होगी.

5. निविदा में प्रस्तुत समस्त सामग्रियों का सैंपल निविदा खोले जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. निविदा में प्रस्तुत प्रत्येक सामग्री किस कंपनी द्वारा निर्मित है ,सामग्री का साइज ,नाप,तौल आदि जो निविदा में दिया है अंकित करना ,साथ ही फार्म की सील नमूना सामग्री पर होना अनिवार्य है.

6. सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय कोई भी सामग्री कंपनी पैक ना होने अथवा निम्न स्तर की होने की दशा में ऐसी सामग्री को निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय पर वापिस उठाना होगा तथा कंपनी अनुसार सामग्री अविलम्ब प्रदाय करनी होगी. सूची अनुसार जिन कंपनियों के नाम अंकित है केवल उन्ही की दरे निविदा में दर्शायी जावे.अन्यथा मान्य नहीं होगी.

7. निविदा में प्रस्तुत दरे एक वर्ष की अवधि तक मान्य होना आवश्यक है तथा इस बाबत सहमति पत्र सफल निविदाकर्ता को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

8. किसी भी समय, बिना किसी कारण के सम्पूर्ण निविदा खारिज करने एवं टेंडर से सम्बंधित सभी अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय ,रीवा के अधीन सुरक्षित होंगे.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा